



थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा एक अभियुक्त गिरफ्तार जिसके कब्जे से 122 पच्चे नाजायज देशी शराब बरामद ।

कार्यवाही:- कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद की टीम द्वारा दिनांक: 19.09.2022 समय 16.30 बजे गुप्ता पार्किंग के पास सीमा थाना साहिबाबाद गाजियाबाद से अभियुक्त मय 122 पच्चे नाजायज देशी शराब व अग्रेजी शराब अवैध हरियाणा मार्को सहित गिरफ्तार किया गया।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त ने पूछताछ मे बताया कि साहब इस शराब को मैं कम दामों मे हरियाणा से ही खरीदकर यहाँ पर आने जाने वाले लोगो एवं काम करने वाले मजदूरो को बेचकर मुनाफा कमाता हूँ तथा बरामद शराब के बारे मे लाइसेंस तलब किया गया तो नही दिखा सके जिसके संबंध मे थाना हाजा पर मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्यावीह की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. गौरव कुमार पुत्र जगस्वर्ण सिंह नि0 बिजवाडा थाना विनौली जिला बागपत उम्र 27 वर्ष

अभियुक्त गण का अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 1517/22 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम बनाम गौरव कुमार थाना साहिबाबाद गा0बाद

बरामदगी का विवरण

122 पच्चे नाजायज देशी शराब व अग्रेजी शराब अवैध हरियाणा मार्को

थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा एक अभियुक्त गिरफ्तार जिसके कब्जे से 30 पच्चे अवैध शराब बरामद ।

कार्यवाही:- कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद की टीम द्वारा दिनांक: 19.09.2022 समय 18.10 बजे हिन्दन

नदी की ओर रेलवे पुल के पास थाना साहिबाबाद गाजियाबाद से अभियुक्त मय 30 पच्चे रसीला संतरा for Sale in Haryana only मसालेदार देशी शराब सहित गिरफ्तार किया गया।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि साहब इस शराब को मैं कम दामों में खरीदकर यहाँ पर आने जाने वाले लोगो एवं काम करने वाले मजदूरों को बेचकर मुनाफा कमाता हूँ हू। तथा बरामद शराब के बारे में लाइसेंस तलब किया गया तो नहीं दिखा सके जिसके संबंध में थाना हाजा पर मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्यावीह की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अरुण पुत्र राधे श्याम कश्यप नि0- म0 न0 252 पाल रोड अर्थला मोहन नगर थाना साहिबाबाद गा0बाद उम्र 26 वर्ष

अभियुक्त गण का अपराधिक इतिहास

मु0अ0स0 1520/22 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम बनाम अरुण थाना साहिबाबाद गा0बाद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

उ0नि0 श्री विपिन कुमार

कां0 2058 मोनू कुमार

कां0 1800प्रभात सिरोही

बरामदगी का विवरण

30 पच्चे रसीला संतरा for Sale in Haryana only



प्रेस नोट

दिनांक- 20.09.2022 थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद।

थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा दिनांक 17-9-22 को थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज घटना महिला की हत्या का सफल अनावरण करते हुए अभि0नदीम को मय घटना में प्रयुक्त आला कत्ल (धारादार हथियार कुलहाडी) के साथ किया गिरफ्तार।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराधियों की धरपकड हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय महोदय के सफल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना नन्दग्राम रमेश सिंह सिद्धू के कुशल नेतृत्व में थाना नन्दग्राम क्षेत्र में दिनांक 17-9-22 को श्रीमति आशा देवी पत्नी ओमप्रकाश उम्र लगभग 34 वर्ष निवासी सिद्धगढी थाना छतारी जिला बु0शहर की दीनदयालपुरी कालोनी थाना क्षेत्र नन्दग्राम की अज्ञात व्यक्ति द्वारा सनसनीखेज घटना महिला की हत्या का सफल

अनावरण करते हुए अभियुक्त नदीम पुत्र रईस अहमद नि0 कोहिनूर तिराहे के पास धीमरी, गली नं0 16, करूल्ला थाना कटघर जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार कर कर जेल भेजा गया।

सम्पूर्ण घटनाक्रम-- दिनांक 17-9-22 को श्रीमति आशा देवी पत्नी ओमप्रकाश उम्र लगभग 34 वर्ष निवासी सिद्धगढी थाना छतारी जिला बु0शहर की दीनदयालपुरी कालोनी थाना क्षेत्र नन्दग्राम की अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या की गयी थी जिसमे थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए अभि0 नदीम पुत्र रईस अहमद नि0 कोहिनूर तिराहे के पास धीमरी, गली नं0 16, करूल्ला थाना कटघर जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया जिसके द्वारा पूछताछ मे बताया गया कि करीब 01 साल पहले उसकी मुलाकात सुमन उर्फ आशा देवी से हुई थी जो अक्सर अभि0 से मिलने लगी तथा दोनो में आपसी शारीरिक सम्बन्ध बन गये थे, अभि0 व सुमन उर्फ आशा देवी आपस में प्यार करने लगा तथा अभि0 नदीम अक्सर रात बिरात सुमन उर्फ आशा देवी के कमरा जो आश्रम रोड, दीनदयालपुरी नन्दग्राम में था, पर आता रहता था। तथा सुमन उर्फ आशा देवी को मैं हर महीने कमरे का किराया व उसके खर्चों के लिए रूपये भी देता था। सुमन उर्फ आशा देवी अपने पति व बच्चो से अलग रहती थी और अभि0 नदीम मृतका सुमन से बहुत ज्यादा प्यार करने लगा था किन्तु एक दो बार जब सुमन को फोन किया तो उसका फोन काफी समय तक बिजी रहता था, तो अभि0 नदीम को शक हुआ की सुमन उर्फ आशा देवी उसके अलावा भी किसी ओर व्यक्ति से सम्बन्ध है जिसकी जानकारी अभि0 को गयी। जब अभि0 द्वारा इस बात के लिए मना किया किन्तु वह नही मानी। इसी बात से नाराज होकर दिनांक 17.09.2022 की रात्रि को अभि0 नदीम सुमन उर्फ आशा देवी के कमरा नन्दग्राम पर आया तथा अपने साथ अपने बैग में कुल्हाडी व एक जोडी साफ कपडे लेकर गया था तथा रात्रि में दोनो लोगो ने खाना खाने के बाद बातचीत की तथा सो गये। अभि0 नदीम द्वारा समय करीब 03 बजे जब सुमन उर्फ आशा देवी सोई हुई थी तो अभि0 ने अपने बैग से कुल्हाडी निकाल कर सुमन उर्फ आशा देवी के गले पर कुल्हाडी से जोरदार वार कर दिया। कुल्हाडी लगते ही वह बैड से नीचे गिर गई। नीचे गिरते ही अभि0 नदीम द्वारा उसकी पीठ पर कुल्हाडी से वार कर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद अभि0 ने अपने द्वारा खरीदवाये गये सामान (ज्वैलरी) को बैड व अलमारी में तलाश किया गया तो ज्वैलरी व उसके मोबाइल को अभि0 अपने साथ ले गया। मोबाइल फोन को पत्थर से तोडकर नहर में फेक दिया, सुमन उर्फ आशा देवी की हत्या करने के बाद अभि0 ने अपने खून लगे कपडो को बाईपास रोड पर एक मन्दिर के पास झाडियों में छुपा दिया था।

बरामदगी का विवरण:-

- (1) आला कत्ल कुलहाडी
- (2) खुन मे सने अभि0 के कपडे
- (3) मृतका सुमन उर्फ आशा देवी को पूर्व मे अभि0 द्वारा खरीदकर दी गयी ज्वैलरी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

नदीम पुत्र रईस अहमद नि0 कोहिनूर तिराहे के पास धीमरी, गली नं0 16, करूल्ला थाना कटघर जनपद मुरादाबाद।



पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

1 मु0अ0सं0 895/22 धारा 302 भादवि थाना नन्दग्राम गाजियाबाद



प्रेस नोट

थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर अभियुक्त को एक चोरी की मो0साईकिल व 15 चोरी के एटीएम कार्ड व एक मोबाइल सहित किया गिरफ्तार ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद श्री मुनिराज जी. के कुशल निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय एवं क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान थाना प्रभारी खोडा के कुशल नेतृत्व में अन्तर्राज्यीय /एनसीआर क्षेत्र में वाहन चैकिंग के दौरान अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत 01 शातिर अभियुक्त को दिनांक 19.09.2022 समय 22.00 बजे रात्रि प्रताप बिहार बीरबल स्कूल वाले एटीएम के पास खोडा कालोनी से एक अभियुक्त परवेज उर्फ बंटी पुत्र नफीश नि0 म0न0 डी-97 बैंक बिहार कालोनी त्यागी मार्केट लोनी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक अदद चोरी की मो0साईकिल व 15 अदद चोरी के एटीएम कार्ड व एक मोबाइल बरामद किये

गये हैं । गिरफ्तार अभियुक्त का एक साथी अभियुक्त शहजाद पुत्र मलूक नि० डाबर कालोनी थाना लोनी जिला गाजियाबाद फरार चल रहा है जिसकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे है ।

गिर० अभियुक्त का नाम पता

अभि० परवेज उर्फ बंटी पुत्र नफीश नि० म०न० डी-97 बैंक बिहार कालोनी त्यागी मार्केट लोनी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष

बरामदगी का विवरण –

1. चोरी की 01 अदद मोटरसाईकिल रजिस्ट्रेशन संख्या DL-5-SBT-6210
चैसिस नम्बर MD2JYCYD3JC006195 सम्बन्धित मु०अ०सं०
021650/22 धारा 379 भादवि थाना गाजीपुर दिल्ली
- 2.15 अदद एटीएम कार्ड विभिन्न बैंको के - 1.कार्ड नंबर
6071053735000556 इंडियन बैंक 2.कार्ड नंबर
6074310025073355 स्टेट बैंक 3. कार्ड नंबर
5381032262656185 यश बैंक 4. कार्ड नंबर
4013757401300373 सिंडीकेट बैंक 5.कार्ड नंबर
6070936177099832 पंजाब नेशनल बैंक 6.कार्ड नंबर
5089910071093390 उज्जीवन स्माल फाईनेंस बैंक 7.कार्ड नंबर
4799321785000495 आईसीआईसीआई बैंक 8.कार्ड नंबर
4591150193731411 स्टेट बैंक 9.कार्ड नंबर6522029801511069
यूनियन बैंक 10.कार्ड नंबर 6080020541799613 फीनो बैंक 11. कार्ड
नंबर 4213242616612670 इंडसंड बैंक 12.
6522288966005693 सिंडीकेट बैंक 13.कार्ड नंबर

4016131001682902 आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 14.कार्ड नंबर
 4594530104588082 कोटैक महिन्द्रा बैंक 15. कार्ड नंबर
 5419190415900292 एचडीएफसी बैंक व एक अदद मोबाईल ओप्पो
 रंग नीला 869372036360678 व imei 2-
 869372036360660 बरामद सम्बन्धित मु0अ0सं0 511/2022 धारा
 420 भादवि व मु0अ0सं0 512/2022 धारा 420 भादवि व मु0अ0सं0
 352/2022 धारा 420 भादवि थाना खोडा गा0बाद

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

अभियुक्त परवेज उर्फ बंटी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	352/2022	420 भादवि	खोडा	गाजियाबाद
2	511/2022	420 भादवि	खोडा	गाजियाबाद
3.	512/2022	420 भादवि	खोडा	गाजियाबाद
4.	021650/22	379 भादवि	गाजीपुर	दिल्ली
5	515/2022	411,414 भादवि0	खोडा	गाजियाबाद

भागा हुआ सह अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

अभियुक्त शहजाद पुत्र मलूक नि0 डाबर कालोनी थाना लोनी जिला गाजियाबाद
 का आपराधिक इतिहास

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
---------	----------	------	------	------

1	352/2022	420 भादवि	खोडा	गाजियाबाद
2	511/2022	420 भादवि	खोडा	गाजियाबाद
3	512/2022	420 भादवि	खोडा	गाजियाबाद
4.	021650/22	379 भादवि	गाजीपुर	दिल्ली
5.	515/2022	411,414 भादवि0	खोडा	गाजियाबाद



प्रेस नोट

दिनांक 19.09.2022 को थाना खोडा पुलिस द्वारा

आईटी एक्ट के मुकदमे मे वांछित 01 नफर अभि0 को गिरफ्तार किया गया ।

!! श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री मुनिराज महोदय के कुशल निर्देशन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व मे एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय श्री अभय कुमार मिश्र के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान थाना प्रभारी खोडा द्वारा अश्लील फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल कर ब्लैकमेल करने वाले अभियुक्तो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खोडा पर पंजीकृत मुकदमे मे वांछित चल रहे 01 शातिर अभियुक्त को दिनांक 19.09.2022 समय 22.45 बजे घटना स्थल इन्द्रापुरम फ्लाईओवर के नीचे चौकी क्षेत्र लौधी चौक से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक अदद ओप्पो रेनो -6 मोवाईल बरामद किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता

निधीश चन्द्रन पुत्र चन्द्रन के निवासी मकान न0 599 मोहल्ला ओलावारा साउथ तिरवारीपुर पोस्ट उडमबंधोला जिला कासरगोढ़ केरल उम्र करीब 28 वर्ष

अपराध करने का तरीका – अभियुक्त द्वारा लडकीयो को नौकरी का झांसा देने के बाद प्रेम जाल मे फसाकर उनके अश्लील फोटो व वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देते हुये उनसे पैसो की मांग करना व पैसा नही मिलने पर फोटो व वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देना

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास

अभियुक्त निधीश चन्द्रन पुत्र चन्द्रन का आपराधिक इतिहास

क्र०सं०	मु०अ०सं०	धारा	थाना	जनपद
1	479/2022	328/506 भादवि व 66ई/67 आईटी एक्ट	खोडा	गाजियाबाद



प्रेस नोट थाना इंदिरापुरम

आर०एस०एस० पत्रिका पंचजन्य के वरिष्ठ पत्रकार श्री निशान्त आजाद व उनके परिवार को जान से मारने की धमकी देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन मे व पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के कुशल नेतृत्व मे तथा क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के कुशल पर्यवेक्षण मे अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान मे दिनांक 12.09.2022 को आरएसएस की पत्रिका पंचजन्य के वरिष्ठ पत्रकार श्री निशान्त आजाद को वर्चुअल नम्बर का प्रयोग कर जान से मारने की धमकी देने वाले अभियुक्त प्राण प्रिय वत्स को आज दिनांक 20.09.22 को थाना इंदिरापुरम पुलिस, साइबर सेल व सर्विलांस टीम की संयुक्त टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया .

घटना के सम्बन्ध मे थाना इंदिरापुरम पर मु०अ०स० 1186/22 धारा 507 आईपीसी पंजीकृत हैं ।

गिरफ्तार अभियुक्त

प्राण प्रिय वत्स पुत्र शरद चन्द्र मिश्रा नि० मिश्रा टोला सीहोल सहरसा बिहार

पूछताछ का विवरण अभियुक्त प्राण प्रिय वत्स द्वारा पूछताछ मे बताया कि मै श्री निशान्त आजाद को करीब 2.5 वर्षों से जानता हूँ . बिहार चुनाव के दौरान दोनो कि मुलाकात हुई थी ,तभी से दोनो एक दूसरे के करीब आ गये थे . अभियुक्त प्राण प्रिय वत्स पर वादी श्री निशान्त कुमार आजाद के करीब 02- 2.5 लाख रु उधार के निकल रहे थे जो उनके द्वारा मांगे जा रहे थे तो अभियुक्त प्राण प्रिय वत्स द्वारा श्री निशान्त कुमार आजाद का ध्यान बांटने के लिये एक वर्चुअल नम्बर लेकर व्हाट्सैप से धमकी भरे मैसेज उनको प्रेषित किये गये थे ताकि वह उधार के रुपये न मांग सके ।

थाना लिंकरोड जनपद गाजियाबाद पुलिस द्वारा 02 शातिर किस्म के अभियुक्त 02 अदद चाकू के साथ गिरफ्तार ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित अपराधियों व तस्करो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ट्रांस हिण्डन महोदय के निर्देशन में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी साहिबाबाद महोदय के सफल पर्यवेक्षण में दिनांक 20.09.2022 को थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान अभि०गण 1- विशाल पुत्र राजकुमार निवासी काशी राम कालौनी थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ हाल निवासी धर्मेन्द्र का मकान ग्राम कडकड थाना लिंकरोड गा०बाद 2- गोलू कुमार उर्फ राहुल कुमार पुत्र चन्दन निवासी ग्राम पाली विक्रम थाना विक्रम जिला पटना बिहार हाल निवासी धर्मेन्द्र का मकान ग्राम कडकड थाना लिंकरोड गा०बाद को कडकड फाटक कच्चा रास्ते के पास से दो अदद चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

- 1- विशाल पुत्र राजकुमार निवासी काशी राम कालौनी थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ हाल निवासी धर्मेन्द्र का मकान ग्राम कडकड थाना लिंकरोड गा0बाद ।
- 2- गोलू कुमार उर्फ राहुल कुमार पुत्र चन्दन निवासी ग्राम पाली विक्रम थाना विक्रम जिला पटना बिहार हाल निवासी धर्मेन्द्र का मकान ग्राम कडकड थाना लिंकरोड गा0बाद ।

गिरफ्तारी घटनास्थल

कडकड फाटक के पास कच्चा रास्ता चौकी बृजविहार
दिनांक 20.09.2022 समय 12.24 बजे

बरामदगी का विवरण -

1. 02 अदद चाकू

आपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग का विवरण -

1. मु0अ0सं0 0361/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना लिंक रोड गाजियाबाद बनाम विशाल
2. मु0अ0सं0 0362/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना लिंकरोड गाजियाबाद बनाम गोलू उर्फ राहुल कुमार

थाना ट्रोनिका सिटी, जनपद गाजियाबाद।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 70 ग्राम एल्प्राजोलम पाउडर नाजायज बरामद होना

दिनांक 20.09.2022

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री अरविन्द पाठक की टीम द्वारा दिनांक -20.09.2022 को दौराने चैकिंग समय 02.55 बजे हनुमान चौक से करीब 30 कदम की दूरी पर अंसल कालोनी वाले रास्ते पर थाना ट्रोनिका सिटी पर चैकिंग के दौरान एक नफर अभि० किशन पुत्र लेखराज उम्र करीब 22 वर्ष निवासी म.नं.625,गली नं.02,25 फुटा रोड,गीतांजली विहार थाना लोनी जनपद गाजियाबाद , जिसके कब्जे से 70 ग्राम एल्प्राजोलम पाउडर नाजायज बरामद होना।



नाम पता अभियुक्त

किशन पुत्र लेखराज उम्र करीब 22 वर्ष निवासी म.नं.625,गली नं.02,25 फुटा रोड,गीतांजली विहार थाना लोनी जनपद गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास

1.मु०अ०स०-545/22 धारा- 8/21 एनडीपीएस एक्ट व 411 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद ।

अपराध करने का तरीका-

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं दिल्ली से सस्ते दामों में एल्प्राजोलम पाउडर खरीदकर यूपी/एनसीआर क्षेत्र में सस्ते दामों बेचकर अपने शौक पूरे करता हूँ

बरामदगी का विवरण-

1. 70 ग्राम नाजायज एल्प्राजोलम पाउडर बरामद ।



-प्रेस नोट-

थाना ट्रोनिका सिटी, जनपद गाजियाबाद

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा 01 अभि० गिरफ्तार, कब्जे से 01 चाकू नाजायज बरामद

दिनांक 20.09.2022

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, महोदय के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री अरविन्द पाठक की टीम द्वारा दिनांक -20.09.2022 को चैकिंग के दौरान समय 09.05 बजे निकट गेट नं0- 02 की तरफ जाने वाली रोड पर भगत सिंह चौक की तरफ ट्रोनिका सिटी चौकी,थाना ट्रोनिका सिटी पर चैकिंग के दौरान एक नफर अभियुक्त अली मौहम्मद पुत्र कलवा मामा निवासी म.नं.359,बिस्मिल्लाह मस्जिद के पास,अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 19 को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से एक चाकू नाजायज बरामद हुआ।



नाम पता अभियुक्त

अली मौहम्मद पुत्र कलवा मामा निवासी म.नं.359,बिस्मिल्लाह मस्जिद के पास,अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 19 ।

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 547/22 धारा 4/25 आयुध अधि0 बनाम थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद ।
2. मु0अ0सं0 546/21 धारा 411/414 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद ।

अपराध करने का तरीका

अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि मैं चाकू दिखाकर लोगों के मन में भय बनाकर अपने शौक पूरे करते हैं ।